RESEARCH HUB – International Multidisciplinary Research Journal (RHIMRJ)
Research Paper

मानवाधिकार का ऐतिहासिक विश्लेषण नवीनतम संदर्भ में

सरोज स्वामी

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा के अनुसार मानवाधिकार वे अधिकार है जो मानव के जीवन, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिये आवश्यक है। मानवाधिकार की कोई सर्वमान्य परिभाषा नही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सार्वभौम घोषणा पत्र में मानव के मौलिक अधिकार के प्रति विश्वास प्रकट किया गया है।

मानवाधिकार का अर्थ :–

सामान्य अर्थो में 'मानवाधिकार' से तात्पर्य है मानव चाहे वह किसी भी लिंग, वर्ग या जाति का हों, किसी भी देश, प्रदेश या क्षैत्र में रहता हो, किसी भी धर्म, सम्प्रदाय या मत का मानने वाला गरीब हो या अमीर सभी को अपने समुचित विकास, संरक्षण और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार जन्म के साथ ही मौलिक रूप मे मिला है। हमारे देश के संविधान में सभी देशवासियों को मौलिक अधिकारो को बिना भेदभाव के प्रदान किये जाने का प्रावधान भी इसी आधार पर किया गया है। वास्तव में, हमारे संविधान में ऐसे समाज की परिकल्पना की गई है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता पर आधारित हो। इसलिये इसमे समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लिये प्रतिबद्धता को रेखांकित भी किया गया है।

संविधान मे प्रजातंत्र के मूल भाव को ध्यान मे रखकर ही मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वो के अन्तर्गत समानता और स्वतंत्रता को सन्निहित करन की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता और समानता ही वास्तविक अर्थो में हमारे संविधान की मूल आत्मा है।

मानवाधिकार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

मानव सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति समझाा जाता है। असके समुचित उत्थान और विकास हेतु आवश्यक है कि उसे जन्म के उपरान्त ही कुछ मूलभूत अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाए। समाज और सरकार का यह पुनित कर्त्तव्य है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को समाज में सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन व्यतीत करने के लिये सभी साधन और अवसर उपलब्ध कराये।

मानवाधिकार की अवधारणा इतिहास की लंबी अवधि में विकसित हुई। इंग्लेण्ड में 1214 का प्रसिद्ध मैग्नाकार्टा राजा और सामंतशाही के बीच एक समझौता था। हालांकि इसमें कुछ ऐसी धाराऐं भी थी, जो आम लोगों के लिये भी लागु होती थी, पर इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन के सामंतो के अधिकारों और विशेषधिकारो की रक्षा करना था। मानवाधिकारो की इससे अधिक विस्तृत अवधारणा ब्रिटिश क्रांतिकारियों ने पेश की, जब 1689 में राजा को पदच्यूत करने तथा उसे मौत के घाट उतारने के बिल ऑफ राइट्स (अधिकार पत्र) में उन्होने सभी नागरिकों के न्यूनतम अधिकारों का वर्णन किया तथा लगभग एक सदी बाद सन् 1776 में अमेरिकी क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश राजा की दासता से 'अहरणीय' मानवाधिकारों का शामिल किया। इनमें जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की तलाश के अधिकार शामिल थे। इसके कुछ समय उपरान्त फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने राजा को हटाने और उसे मौत के घाट उतारने के बाद मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र तैयार किया।

व्यक्ति के मानवाधिकारों की रक्षा अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास की सबसे स्पष्ट मिसाल संभवतः दास – प्रथा समाप्ति के लिये आंदोलन में मिलती है। दास व्यापार की समाप्ति जिसके उपाय कई देशों ने किये। इसका आरम्भ 19 वीं सदी के ब्रिटेन, डेनमार्क और फ्रांस ने किया। बाद में 1833 में सभी ब्रिटिश क्षैत्रो में दास प्रथा की समाप्ति के लिये ब्रिटिश संसद ने एक विधेयक पारित किया। इसके बाद ऐसे ही उपाय अन्य देशों में किये गये और दास तथा व्यापार की समाप्ति के लिये अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए। 25 जनवरी, 1919 को पेरिस सम्मेलन में राष्ट्र संघ (लीग ऑफ नेशन) की स्थापना पर बल दिया गया तथा 5 मई 1919 को राष्ट्र संघ (लीग ऑफ नेशन) की स्थापना के

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved ISSN: 2349-7637 (Online)

साथ ही उसके तत्वाधान में मानवाधिकारों की रक्षा एवं इन्हे बढ़ावा देने के लिये अंन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानवाधिकारों की रक्षा के प्रयास किये गए।

25 सितम्बर, 1926 से पूर्व मानव अधिकारों का मामला मुख्यतः राष्ट्रीय विषय रहा, लेकिन इसके बाद यह एक अंन्तर्राष्ट्रीय विषय हो गया। मानव अधिकारो के बारे में व्यवस्थित रूप देने का पहला अंन्तर्राष्ट्रीय प्रयास 25 सितम्बर, 1926 को दासता के विरूद्ध हुए विश्व सम्मेलन के रूप में सामने आया। लगभग 4 वर्ष बाद 1930 को बलात श्रम पर सम्मेलन हुआ।

द्वितीय युद्ध के बाद सेन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र को अंगीकार किया गया। इसमें मानवाधिकारों और स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य को प्रमुखता दी गई। इस घोषणा पत्र की प्रस्तावना को घाषित किया गया।

'हमें बुनियादी मानवाधिकारों व्यक्ति की गरिमा एवं मुल्यों, बड़ो व छोटे सभी राष्ट्रो में पुरूषों एवं स्त्रियों के समान अधिकारो की पुर्नपुष्टि के लिये कृतसंकल्प संयुक्त राष्ट्र में शामिल देशों के लोग इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये मिलकर प्रयास करने का संकल्प करते है।'

घोषणा पत्र की पहली धारा मे ही संयुक्त राष्ट्र के घोषित उद्देश्यो में प्रमुख मानवाधिकारों के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तैयार करना बताया गया है। इसके अनुरूप 1946 में श्रीमती रूजवेल्ट की अध्यक्षता में विधिवत मानवाधिकार आयोग बना। पूर्व और पश्चिम के बढ़ते तनाव के बावजूद आयोग ने काम जारी रखा और मानवाधिकार घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप को सितम्बर 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को सौंपा गया। प्रारूप को कुछ संशोधन के बाद महासभा ने उसी वर्ष 10 दिसम्बर को (मानवाधिकारों के विश्व घोषणा पत्र को) अंगीकार कर लिया। किसी ने इसमें असहमति नही जतायी। हालांकि साम्यवादी खेमे के कई देशों, सउदी अरब और दक्षिण अफ्रिका ने मतदान में भाग नही लिया।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसम्बर, 1948 को जारी मानवाधिकार घोषणा में सभी देशों के प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 अधिकार प्रदान किये गये। अधिकारो को तीन वर्गो में विभाजित किया गया है –

1. <u>वैयक्तिक स्वतंत्रता एवं आध्यात्मिक अखण्डता का अधिकार</u> :
   इस श्रेणी में जीवन के अधिकार के अतिरिक्त, दासता,अमानवीय व्यवहार अथवा दण्ड, निरंकुश गिरफ्तारी के प्रतिबंध तथा वैचारिक, आत्माभिव्यक्ति तथा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार सम्मिलित है।
2. <u>राजनीतिक अधिकार</u> :
   इस श्रेणी में विचारों की अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण संघ बनाने तथा सरकार की नीति निर्धारण प्रक्रिया में भागीदारी करने के अधिकार सम्मिलित है।
3. <u>सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार</u>:
   इस क्षेत्र सामाजिक, सुरक्षा, जीविकोपार्जन, आजीविका तथा किसी भी सांस्कतिक गतिविधि में भाग लेने का अधिकार शामिल है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की प्रस्तावना में अभिव्यक्त संकल्प के क्रियान्वयन के ध्येय से 'मानवाधिकारों' पर अंतर्राष्ट्रीय पत्र तैयार करने की निश्चय किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयेग ने निम्नलिखित रूपरेखा तैयार की :–

- <u>सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा</u> :
  यह घोषणा 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकार की गयी। इस घोषणा मे उद्देशिका के अतिरिक्त 30 अनुच्छेद हैं। इसमें मानवाधिकारों के मूल सिद्धान्तों का समावेश है। इस घोषणा में यह विचार शामिल है कि मानव परिवार के सभी सदस्यों को जन्मजात गरिमा और सम्मान एवं अहरणीय अधिकारों की मान्यता विश्व में स्वतंत्रता, न्याय तथा शांति का आधार हैं।
- <u>सिविल तथा राजनैतिक अधिकारों पर अंन्तर्राष्ट्रीय प्रंसविदा,1996</u> :
  सह प्रंसविदा, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा पर आधारित है। यह प्रसेविदा 30 मार्च, 1976 को प्रवर्तन में आयी। भारत में 27 मार्च, 1979 को इस प्रसंविदा को अनुसमर्थन कर दिया गया। इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्य प्रसंविदा मं प्रावधानित अधिकारो को सभो व्यक्तियों के प्रति सुनिश्चित करने हेतु बाध्य है।
- <u>प्रसंविदा में उल्लिखित अनेक अधिकारों का भारतीय संविधान में विर्निदिष्टत</u>ः

न्यायालयो द्वारा मूल अधिकारो की प्रसंविदा में अंतर्विष्ट किये गये है तथा जो भारत के नागरिकों को

संविधान में विर्निदिष्ट रूप से उल्लिखित न किये जाने के बावजूद उपलब्ध है:

- एकान्तता का अधिकार
- विदेशों में यात्रा करने का अधिकार
- त्वरित विचरण का अधिकार
- विधिक सहायता का अधिकार
- बन्दियों के साथ मानवीय व्यवहार किये जाने का अधिकार
- किसी संविदात्मक बाध्यता का पूरा करने में असमर्थ होने पर कारावासित न किये जाने का अधिकार
- प्रतिकार का अधिकार
- सूचना का अधिकार

नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारों की प्रसंविदा में उल्लिखित अधिकारों का तत्काल एवं समयबद्ध अनुपालन अपेक्षित था, किन्तु उनके क्रियान्वयन के संबंध में उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। इस कमी को पूरा करने के लिये नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारो की प्रसंविदा का ऐच्छिक नयाचार 1966 निर्मित किया गया।

मानवाधिकारों के क्रियान्वयन हेतु, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् ने फरवरी 1946 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग स्थापित किया। यह आयोग मानवीय अधिकारों से संबंधित किसी भी प्रश्न का अध्ययन कर सकता है तथा रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है। इसके 53 सदस्य है, जिनका चयन 3 वर्ष की अवधि के लिये किया जाता है। इसका सत्र वर्ष में एक बार होता है। सदस्य राज्यो के नागरिक कमीशन में मानव अधिकार के उल्लंघन की शिकायत भेज सकते है।

मानवाधिकारों के प्रभावी संरक्षण हेतु कोई ठोस अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण उपलब्ध न होने के कारण यह अनुभव किया गया कि उस हेतु क्षेत्रीय व्यवस्था बनायी जानी चाहिए। यह समझा गया कि क्षेत्रीय व्यवस्था में ऐसे राज्यों को शामिल किया जाय, जिनकी राजनैतिक परम्पराएं, विचार,स्वतंत्रता तथा विधि के शासन के अनुरूप हो। इस क्रम में निम्नलिखित तीन क्षेत्रीय अभिकरणों की स्थापना की गई है:

1. मानवाधिकार यूरोपीय अभिसमय
2. मानवाधिकार अमेरिका अभिसमय
3. मानवाधिकार अफ्रीकी चार्टर

मानवाधिकार यूरोपीय अभिसमय

यूरोपीय परिषद् की संविधि में इस बात पर जोर दिया गया है कि मानवाधिकारों को बनायें रखना तथा उनमें वृद्धि करना यूरोपीय पद्धति का आधार है। मानवाधिकार यूरोपीय अभिसमय 4 नवम्बर, 1950 की स्वीकार किया गया जो 3 सितम्बर, 1952 को लागु हुआ। अभिसमय में 66 अनुच्छेद हैं, जो 5 भागों में विभाजित है। अभिसमयो में 1952 तथा 1963 के प्रथम तथा चौथे नयाचार द्वारा संशोधन किया गया, जिसके द्वारा मूल सूची में कुछ अन्य अधिकारो को जोड़ा गयझं

यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय

यूरोपीय अभिसमय प्रावधानों के अनुसार, यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय का गठन किया गया है।

अमेरिकी मानवाधिकार अभिसमय

सैनजौंस–कोस्टारिका में 22 नवम्बर,1969 में आयोजित मानवाधिकार अंतर अमेरिकी विशिष्ट सम्मेलन में अमेरिकी अभिसमय को स्वीकृत किया गया। यह अभिसमय 11 जुलाई, 1978 को लागु हुआ। अभिसमय में मानव के सिविल तथा राजनीतिक अधिकारो के साथ – साथ उनके क्रियान्वयन के लिये भी प्रवाधान किया गया है। इसके लिये अंतर अमेरिकी मानवाधिकार आयोग तथा अंतर अमेरिकी मानवाधिकार न्यायालय बनाये गये है।

अफ्रीकी मानवाधिकार चार्टर

लागोस (नाइजीरिया) में 1961 में विधि के शासन पर हुए अफ्रीकी सम्मेलन में मानवाधिकारों की रक्षा के लिये क्षेत्रीय अभिकरणो की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया। सरकार को अफ्रीकी मानवाधिकार अभिसमय को स्वीकार करने की संभावना का अध्ययन करने हेतु आमंत्रित किया गया, तथा कहा गया कि यह समुचित अधिकारिता के न्यायालय की स्थापना करें जाकि इस सम्मेलन के निष्कर्ष की सुरक्षा हो सके एवं सभी व्यक्तियों के लिये हस्ताक्षरकर्ता राज्यों की अधिकारिता के अधीन इसका आश्राय उपलब्ध हो सके।

राष्ट्रमण्डल देशों में मानवाधिकारों की स्थिति

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसंविदाओं के अंगींकृत होने से राष्ट्रमण्डल के देशों को भी मानवाधिकारों के संरक्षण के लिये प्रेरणा मिली और यह अनुभव किया गया कि राष्ट्रमण्डल के आदर्शों को तभी प्राप्त किया जा सकेगा जब जातिभेद को सदस्य राज्यों द्वारा पूर्णरूपेण उनके राज्य क्षेत्रों में तथा पारस्परिक संबंधो में अवैध घोषित कर दिया जाए।

सिंगापुर घोषणा :

इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु राष्ट्रमण्डल देशों की सरकारों के अध्यक्षों की एक बैठक जनवरी 1971 में सिंगापुर मे हुई जिसमें घोषणा की गई कि –

- हम जातीय पक्षपात को मानवजाति के स्वास्थ्य एवं विकास को जोखिम में डालने वाली भयावह बीमारी मानते है।
- हम सब प्रकार के औपचारिक प्रभुत्व और जातीय दमन का विरोध करते है और मानव गरिमा तथा समानता के सिद्धान्त के लिये प्रतिबद्ध है।

मानवाधिकार और भारत

भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण की दिशा में प्रभावकारी प्रयास किये है। वस्तुतः भारतीय संविधान ने मानवाधिकारों को संकल्पित कर सरकार को इसके प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास किया है।

<u>राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग :</u>

28 सितम्बर, 1993 से प्रभावी मानवाधिकार संरक्षण कानून 1993 की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रवधान किया गया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग :

मानवाधिकार संरक्षण कानून, 1993 की धारा 12 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यो का विस्तृत विवेचन किया गया है इसके अनुसार आयोग निम्नलिखित कार्य करता हैः–

- मानवाधिकार उल्लंघन के मामले से पीड़ित व्यक्ति अथवा उसकी और से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये गये आवेदन के आधार पर जांच।
- किसी न्यायालय में लंबित मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी मामले से संबद्ध न्यायालय की अनुमति के आधार पर हस्तक्षेप।
- मानवाधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यो को प्रोत्साहन।
- मानवाधिकार संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न गर – सरकारी संगठानों तथा उच्च संस्थाओं को प्रोत्साहन।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुल्याकन :

मानव अधिकारो के पालन तथा विशेषकर नागरिक स्वतंत्रताओं के क्षेत्र में राष्ट्रीय कमीशन ने बड़ा ही योगदान दिया है। उदाहरण के लिये, हिरासत मे मौतो, बलात्कार तथा यंत्रणा आदि को रोकने मे कमीशन का कार्य काफी सराहनीय रहा है। कमीशन के पास शक्तियों की कमी है तथा यह कोई कार्यवाही प्रत्यक्ष रूप में नहीं कर सकती है। यह केवल सरकार को अपनी संस्तुति दे सकती है तथा सरकार उसे स्वीकार करने हेतु बाध्य नही है।

यद्यपि आयोग न ता न्यायालय के समाननिर्णय दे सकता है तथा न ही उसके निर्णय का पालन न्यायालय के निर्णयों के समान बाध्यकारी है,फिर भी यह कहना उचित नही होगा कि कमीशन के कार्यो का कोई परिणाम नही निकला।

निष्कर्ष :

मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिये आवश्यक है वर्तमान में वैश्विक, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तर तक मानव अधिकारो की सुरक्षा कि लिये अनेक कानून एवं अधिनियम बनाकर न्यायालय में मानव जीवनको सुरक्षा प्रदान की गयी है ताकि मानव का विकाससही तरिके से हो एवं मानव अपने अधिकारो का प्रयोग करके सुखमय जीवन जी सके।

संदर्भ :

1. पॉल केनेडी ''मनुष्य की संसद'' विरैंज बुक, 2007
2. मानवाधिकार का मानवीय चेहरा, मिश्र सुभाष, नई दिल्ली, 2010
3. प्रतियोगिता दर्पण, 2015
4. दृष्टि विशेषांक, 2016
5. राजस्थान प्रत्रिका, 2016
6. महिला अधिकार और मानव अधिकार, ममता महरोत्रा 2017, प्रभात प्रकाशन
7. मानव अधिकार, डॉ. एच. ओ. अग्रवाल, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, 2016
8. मानव अधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि, डॉ एस. के. कपूर, सेन्ट्रल लॉ ऐजेन्सी, 2017
9. अन्तर्राष्ट्रीय विधि एवं मानव अधिकार, डॉ. एच. ओ. अग्रवाल, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, 2015

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved *ISSN:* 2349-7637 (Online)